

कार्यालय प.ह.नं.- \_\_\_\_\_ तहसील - \_\_\_\_\_ जिला - \_\_\_\_\_

क्रमांक: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

प्रति,

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय,

तहसील \_\_\_\_\_

**विषय: नीलगाय द्वारा फसल हानि के संबंध में आर.बी.सी. 6(4) के अंतर्गत प्रतिवेदन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदक श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ पिता/पति  
\_\_\_\_\_ निवासी ग्राम \_\_\_\_\_ प.ह.नं. \_\_\_\_\_ द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में  
आपके आदेशानुसार दिनांक \_\_\_\_\_ को मौके पर जाकर जांच की गई।  
जांच में पाया गया कि आवेदक की भूमि खसरा नंबर \_\_\_\_\_ रकबा \_\_\_\_\_ हेक्टेयर पर  
बोई गई \_\_\_\_\_ की फसल में से रकबा लगभग \_\_\_\_\_ हे. की फसल को नीलगाय (वन्य जीव)  
द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। मौके पर निरीक्षण के दौरान फसल आंशिक/पूर्ण रूप से नष्ट पाई  
गई। फसल को रौंदने के स्पष्ट चिन्ह पाए गए।

स्थानीय पंचों/ग्रामीणों से पूछताछ में भी पुष्टि हुई कि उक्त क्षेत्र में नीलगाय का आवागमन  
रहता है तथा इनके द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है।  
उक्त फसल में लगभग \_\_\_% हानि होना पाया गया है, जिससे आवेदक को आर्थिक क्षति हुई है।  
अनुमानित नुकसान राशि लगभग ₹ \_\_\_\_\_/- आंकी गई है।

अतः प्रतिवेदन प्रस्तुत है कि प्रकरण में आर.बी.सी. 6(4) के अंतर्गत पात्रता अनुसार  
मुआवजा स्वीकृत किया जाना उचित होगा।

संलग्न:

1. स्थल निरीक्षण पंचनामा
2. फसल हानि के फोटो
3. खसरा/बी-1 की प्रति

दिनांक: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

(पटवारी)